72

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 464—एक/2012 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 29—11—2011 के द्वारा अपर आयुक्त जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 368/अ—6/2010—11

.....

1— अर्चनाबाई पत्नी सुरेश हाते
2— सुरेश पुत्र मनिकराव हाते
निवासी— ग्राम घोघरीखापा,
तहसील—सौंसर, जिला—छिन्दवाड़ा(म0प्र0)

.....आवेदकगण

विरूद्ध

महादेव पुत्र सदाशिव गुड़धे
निवासी— ग्राम घोघरीखापा,
तहसील—सौंसर, जिला—छिन्दवाड़ा(म0प्र0)

.....अनावेदक

.....

श्री अनिल गुप्ता, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 3-11-2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 368/अ—6/2010—11 में पारित आदेश दिनांक 29—11—2011 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 29.11.2010 को आदेश पारित कर अनावेदक महादेव को ग्राम घोघरीखापा, ब.न.113, पटवारी हल्का नंबर 3/4

राजस्व निरीक्षक मण्डल सौंसर स्थित भूमि खसरा नं0 147 रकबा 1.279 हैक्टेयर के उतरी मेढ़ के किनारे से, रिधोरा–घोघरीखापा मार्ग से पश्चिम की ओर से बैलगाड़ी रास्ता आवेदक के लिये उसके खेत खसरा नं. 213 में आने–जाने के लिये अर्चना पति सुरेश हाते पिता मानिकराव हाते साकिन घोघरीखापा खुला रखेंगे । इस आदेश से परिवेदित होकर आवेदिका अर्चना एवं उनके पति सुरेश द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, सौंसर के समक्ष अपील प्रस्तुत किया गया, जो प्रकरण क्रमांक 20/अ–13/2010–11 में दर्ज होकर दिनांक 24.02.2011 को पारित आदेशानुसार स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.2010 निरस्त करते हुये यह आदेश किया कि अनावेदकं को बैलगाड़ी ले जाने के लिये रास्ते का अधिकार नहीं है, लेकिन पगडंडी आवेदिका अर्चना के पति सुरेश द्वारा अनावेदक को आने–जाने के लिये दिया जाये । इसी आदेश से परिवेदित होकर द्वितीय अपील अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त जबलपुर संभाग, जबलपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । प्रकरण क्रमांक 368/अ–6/2010–11/अपील पर दर्ज किया जाकर दिनांक 29.11.2011 को आदेश पारित करते हुये अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त जबलपुर संभाग, जबलपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.2011 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि न्यायालय सौंसर ने अनावेदक को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से प्रकरण में बहस होने के पश्चात प्रकरण पुनः स्थल निरीक्षण के लिये नियम कर कानूनन प्रक्रिया का उल्लंघन किया तथा अधुरा स्थल निरीक्षण कर, उसका आधार लेकर गलत आदेश पारित किया है, जबकि यह सुस्थापित सिद्धांत है कि स्थल निरीक्षण किसी रास्ते का आधार एवं सबुत नहीं हो सकता । विचारण न्यायालाय ने प्ररकण में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार साक्ष्य अंकित नहीं किया है । आवेदकगण ने अनावेदक के अपंजीबद्ध दस्तावेजों को प्रदर्शित करने में आपत्ति प्रस्तुत किया था, किन्तु विचारण न्यायालय ने पंजीयन अधिनियम के प्रावधानो को अनदेखी करते हुये आवेदकगणों की आपत्ति गलत ढंग से तथा अनावेदक के सांठ–गांठ कर निरस्त किया तथा अनावेदक के दस्तावेज गलत ढंग से प्रदर्श पी. 10 व 11 प्रदशिर्तत किये है तथा उन पर गलत ढंग से भरोसा किया है । आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्क में यह भी बताया कि विचारण न्यायालय ने आवेदकगण को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने में समुचित अवसर नहीं दिया

तथा अनावेदक ने उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श पी. 11 के निष्पादक अरविंद डहाके का परिक्षण नहीं कराया । ऐसी स्थिति में अनावेदक के विरूद्ध महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने के अभाव में विपरीत निष्कर्ष लगाना था, परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अनावेदक के खं0नं0 213 के आवागमन हेतु खसरा नं. 145 में से पंगदंडी रास्ता है जिसका इन्द्राज खसरा पांच सालाना में है । आवेदकगण की खसरा नं. 147 एवं अनावेदक के खसरा नं. 213 के उत्तर दिशा में ग्राम घोघरीखापा की बस्ती है जहां से खसरा नं. 216, 216, 214 से होते हुये अनावेदक के खसरा नं. 213 के मेढ़ तक पांधन बैलगाड़ी के आवागमन की है इन सभी रास्ते का स्थल निरीक्षण में विचारण न्यायालय ने जानबूझकर उल्लेख नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त जबलपुर संभाग, जबलपुर ने अपने आदेश दिनांक 29.11.11 से विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के विपरीत आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदक के अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीस्थ न्यायालय के अभिलेख का भलीभांति परिशीलन किया गया। विचारण न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 131 के तहत रास्ते का यह विवाद प्रस्तुत हुआ था । अतः इस संबंध में में धारा 131 के प्रावधारों का अवलोकन कर लिया जाना उचित होगा । संहिता की धारा 131–मार्गधिकार तथा अन्य प्राइवेट सुखाचार अधिकार– 1. इस बारे में कि कोई खेतिहार अपने खेतों पर या ग्राम की बन्जर भूमि या चारागाहों पर मान्यता प्राप्त सड़कों, तथों या सार्वजनिक भूमि पर से, जिसके अंतर्गत वे सड़कें तथा पथ जो धारा 242 के अधीन तैयार किये गये ग्राम के बाजिबुउल–अर्ज में अभिलिखित है, न होकर अन्यथा किसी मार्ग द्वारा पहुँचेगा या इस बारे में कि वह किस स्त्रोत से या किस जलसरणी से अपने लिये जल प्राप्त्त कर सकेगा, कोई विवाद उदभूत होने की दशा तहसीलदार स्थानीय जांच करने के पश्चात् उस मामले को प्रत्येक मामले विषयक पूर्व रूढ़ि के प्रति निर्देश करके तथा समस्त संबंधित पक्षकारो की सुविधा को सम्यक ध्यान रखते हुये निश्चित कर सकेगा । 2. इस धारा के अधीन पारित किया गया कोई

भी आदेश किसी व्यक्ति के सुखाचारों के ऐसे अधिकारों को स्थापित करने से विवर्जित नहीं करेगा । उक्त विधिक प्रावधानों के सूक्ष्म अध्ययन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार को संहिता की धारा के तहत किसी खेतीहर को अपने खेतों पर मान्यता प्राप्त पथ सार्वजनिक मार्ग, वालिब उल अर्ज में अभिलिखित मार्गों से अन्यथा रास्ते के विवाद के निराकरण का अधिकार है । विधि की यह अपेक्षा है कि इस प्रकार के विवाद का निराकरण तहसीलदार स्थानीय जांच करने के पश्चात और पूर्व रूढ़ी के प्रति निर्देश करके तथा संबंधित पक्षकार की सुविधा का ध्यान रखते हुये निश्चित करेगा ।

6/ विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का अवलोकन करने पर यह विदित होता है कि रास्ते के इस विवाद के निराकरण के पूर्व विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 29.05.2007 एवं 30.10.2010 को स्थानीय जांच की गई है । स्थानीय जांच के दौरान पंचनामा और नजरी नक्शा तैयार किया गया है । स्थानीय जांच के बाद विचारण न्यायालय द्वारा यह पाया था कि अनावेदक को आवेदकगण के खेत भूमि खसरा नं0 147 रकबा 1.279 है0 के उत्तरी मेढ़ के किनारे से बैलगाड़ी रास्ता पूर्व से चला आ रहा है । आवेदकगण ने वर्ष 2006 में यह भूमि क्रय कर वर्ष 2007 को अनावेदक का रास्ता बंद किया है । विचारण न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान खसरा नं0 147 उत्तरी मेढ़ के पूर्व एवं पश्चिम छोरों पर बैलगाड़ी रास्ते के चिन्ह पाये गये थे, दोनों सिरे कांटे की फेंसिग से बंद किया गया था और रास्ते वाली भूमि जोत कर सिंचाई की गई । शेष भूमि बिना जुताई एवं सिंचाई के पाई गई । तद्नुसार रास्ता होने के निशान मिटाने के प्रयास होना विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने स्थल जांच के दौरान पाया गया । प्रकरण में आवेदक ने दिनांक 03.04.85 को 5/– के स्टाम्प पेपर में निष्पादित सहमति पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें भूमि खसरा नंबर 147 रकबा 1.279 है0 तत्कालीन भूमि स्वामी गुलाबराय पिता डुमना ठाकरे ग्राम घोघरीखापा तहसील सौंसर, जिला–छिन्दवाड़ा ने अनावेदक महादेव के पक्ष में यह लिखित तहरीर की गई कि अनावेदक महादेव पिता सदाशिव की भूमि खसरा नं0 213 में खेत के पुरब दिशा से लगा हुआ है । महादेव गुड़से अपने खेत का निस्तार घोघरीखापा रिधोरा मार्ग से आकर मेरे खेत के खसरा नं0 147 के उत्तर में पश्चिम से पूर्व शामराव पिता डुमना ठाकरे मेरे बड़े भाई के खेत के मेढ़ के किनारे से बैलगाड़ी एवं मजदूर नागर बखर एवं स्वयं मेरे इस खेत से कई सालों से आना जाना करते आ रहे है । यह रास्ता

पूर्व से परम्परागत रूढ़ीगत रास्ता है । भविष्य में इस रास्ते का अनावेदक एवं उसके परिवार के आने जाने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और आगे कोई वाद–विवाद करेगा तो वह अवैध समझा जावेगा । आवेदक द्वारा इकरारनामा दिनांक 16.09.2006 की सत्यप्रति प्रस्तुत की है, जिसमें उक्त भूमि के भूमिस्वामी अरविंद पिता गुलाबराव ने भी आवेदक को उसके खेत खसरा नंबर 213 में रिधारो घोघरीखापा मार्ग से आने जाने का गाड़ीदार रास्ता खसरा नं0 147 की उत्तरी मेड़ के किराने से पुर्वानुसार चलते रहने में कोई आपत्ति न होने का इकरार किया है ।

7/ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि आवेदक ने अपने द्वारा भूमि क्रय करने संबंधी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.09.06 की फोटो प्रति प्रस्तुत कर कहा कि उनके द्वारा भूमि क्रय करते समय विक्रय पत्र में आवेदक के रास्ते का उल्लेख नहीं है । इस संबंध में यह विचारणीय है कि इस विक्रय संव्यवहार में आवेदक पक्षकार नहीं था, इसलिये यह विक्रय विलेख उस पर बंधनकारी होना नहीं माना जा सकता है । अपने पक्ष समर्थन में अनावेदक की ओर से सन् 70–71 अधिकार अभिलेख की सन् 51–52 वाजिब उल अर्ज, जिला–छिन्दवाड़ा ग्राम घोघरीखापा की प्रमाणित प्रतियों की फोटो प्रति विचारण न्यायालय में प्रस्तुत की और कहा कि इन अभिलेखों में विवादित भूमि में रास्ते का उल्लेख नहीं है । संहिता की धारा 131 के तहत उन रास्तों पर विवाद का निराकरण नहीं किया जाता है जो सार्वजनिक मार्ग हो या मान्य पथ/मार्ग हो, या वाजिब उल अर्ज में दर्ज हो, वरन उन मार्गों से संबंधित विवाद का निराकरण किया जाता है जो मान्य पथ, सार्वजनिक मार्ग और वाजिब उल अर्ज में अभिलिखित ना हो । इस संबंध में एमपीएलजे 26 राम नारायण विरूद्ध नरहरि , 1963 राजस्व निर्णय 14 एवं 1972 राजस्व निर्णय 105 रामचरण विरूद्ध गंगाराम न्यायदृष्टांत में राजस्व मण्डल द्वारा भी यह प्रतिपादित किया गया है कि मान्य पथ, सार्वजनिक मार्ग और वाजिब उल अर्ज में उल्लेखित मार्गों से या जल स्त्रोंतो से धारा 131 का संबंध नहीं है।

8/ उपरोक्त विवेचनानुसार विचारण न्यायालय द्वारा की गई स्थानीय जांच और प्रकरण में आये दस्तावेज तथा मौखिक साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि विवादित मार्ग रूढ़िगत मार्ग होकर अस्तित्व में रहा है, तद्नुसार ही विचारण न्यायालय द्वारा अनावेदक को भूमि खसरा नं0 147 रकबा 1.279 है0 के उत्तरी मेढ़ के किनारे से रिधोरा घोघरीखापा मार्ग से पश्चिम से पूर्व की ओर बैलगाड़ी रास्ता अनावेदक के लिये उसके खेत खसरा नं 213 में आने जाने के लिये आवेदक को खुला रखने के निर्देश दिये है, जो संहिता की धारा 131 के प्रावधानों के अनुसार

दिया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2011 में यह मान्य कर विधिक भूल की है कि विवादित मार्ग से संबंधित खसरा नं0 का उल्लेख वाजिब उल अर्ज में होना चाहिये । न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2011 निरस्त करते हुये विचारण न्यायलय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.2010 यथावत रखने में अपर आयुक्त जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । मैं अपर आयुक्त जबलपुर संभाग, जबलपुर के आदेश से सहमत हूँ ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष में पहूँचा हूँ कि अपर आयुक्त जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.2011 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है । फलतः आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर